न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या : 39/2021
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2021/76

प्रार्थीगणः–

1. गीता बेवा रामलाल
2. सोहनलाल पुत्र रामलाल
3. किरण पुत्री रामलाल जातिगण लखारा, निवासीगण धनला, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
4. सुन्दर पुत्री रामलाल पत्नी वालचंदजी, जाति लखारा, निवासी धनला, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली, हाल निवासी सादडी, तहसील देसूरी
5. राजु पुत्री रामलाल पत्नी नरेन्द्र जी, जाति लखारा, निवासी धनला, तहसील मारवाड जंक्शन, हाल निवासी मसुरिया बालाजी, जोधपुर
6. डिम्पल पुत्री रामलाल पत्नी अंकेश, जाति लखारा, निवासी धनला तहसील मारवाड जंक्शन, हाल निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही
7. घीसीदेवी पुत्री अचलाराम पत्नी ओमजी, जाति लखारा, निवासी धनला, तहसील मारवाड जंक्शन(पाली), हाल निवासी सांगरिया फाटा, जोधपुर(राज.)

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. सरपंच ग्राम पंचायत धनला, पंचायत समिति मारवाड ज़ंक्शन, जिला पाली
2. शिवराज पुत्र अचलाराम
3. कमलादेवी पत्नी शिवराज, जातिगण लखारा, निवासीगण धनला, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली (राज)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित –

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री तरूण उपाध्याय।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 27.3.2024

प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, धनला द्वारा जारी मिसल संख्या 40/2010–2011 संकल्प संख्या 01 दिनांक 20.10.2013 की पालना में सजनीदेवी पत्नी अचलाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 32 दिनांक 30.05.2014 के विरूद्ध पेश की गई।

प्रस्तुत निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 एवं 03 के अधिवक्ता वक्त बहस अनुपस्थित होने से प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने वक्त बहस निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण ग्राम धनला के मूल निवासी है तथा ग्राम धनला में प्रार्थी संख्या 01 के पति एवं प्रार्थी संख्या 02 से 06 के पिताजी रामलाल तथा प्रार्थी संख्या

अति. जिला कलक्टर, पाली

01 के ससुर व प्रार्थी संख्या 02 व 06 के दादाजी अचलाराम का सयुक्त खरीदशुदा स्वामित्वसुदा मकान आया हुआ है, जिसके वर्तमान में पडौस उत्तर में रामदेवजी का मंदिर, दक्षिण में मुलचंद जैन का मकान, पुर्व में आम रास्ता एवं पश्चिम में पोकरजी साद का प्लॉट व रताजी घांची का मकान आया हुआ है। जैर निगरानी आराजी को रामलाल (प्रार्थी संख्या 01 के पति एवं प्रार्थी संख्या 02 से 06 के पिता) एवं अचलाराम (प्रार्थी संख्या 01 के ससुर एवं प्रार्थी संख्या 02 से 06 के दादाजी) ने संयुक्त रूप से सेसा पुत्र बुद्धा जाति लखारा से जरिये पंजीबद्ध बेचाननामा क्रम संख्या 633/65 दिनांक 18.10.1965 को खरीद किया था। जिसके अनुसार उक्त आराजी में प्रार्थी संख्या 01 के पति व प्रार्थी संख्या 02 से 06 के पिता रामलाल का 1/2 हिस्सा एवं प्रार्थी संख्या 01 के ससुर एवं प्रार्थी संख्या 02 से 06 के दादाजी अचलाराम का 1/2 हिस्सा आता है। अचलाराम ने अपने जीवन काल में दो विवाह किये थे, जिनमें प्रथम पत्नी अमलीबाई उर्फ अमिया जिससे रामलाल एवं प्रार्थी संख्या 07 घीसीदेवी का जन्म हुआ एवं दुसरी पत्नी सजनीदेवी जिससे अप्रार्थी संख्या 02 शिवराज का जन्म हुआ। वर्तमान में अचलाराम एवं उनकी दोनो पत्नीयों का देहांत हो जाने से अचलाराम के 1/2 हिस्से में उनके वारिसान रामलाल, घीसीदेवी एवं शिवराज प्रत्येक के हक में 1/3 हिस्सा आता है। जिससे रामलाल के हिस्से में जैर अपील आराजी का कुल 4/6 हिस्सा आता है, जिस पर रामलाल के विधिक वारिसान प्रार्थी संख्या 01 से 06 का हक एवं अधिकार है। प्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उक्त मकान में से अपने रामलाल के 1/2 हिस्से का बंट का मकान भरत कुमार पुत्र पुनाराम सरगरा को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 26.11.2019 के द्वारा बेचान कर दिया। अप्रार्थी संख्या 02 शिवराज ने ग्राम पंचायत धनला से मिली भगत कर रामलाल के विधिक वारिंसान के हिस्से 4/6 एवं प्रार्थी संख्या 07 के 1/3 हिस्से सहित सम्पुर्ण मकान का अपनी माता सजनी देवी के नाम जैर निगरानी पटटा जारी करवाया। अप्रार्थी संख्या 02 ने उक्त पट्टे के आधार पर दिनांक 17.11.2014 को वसीयत अपने पक्ष में निष्पादित करवाकर अपनी पत्नी अप्रार्थी संख्या 03 कमलादेवी के नाम दिनांक 26.12.2019 को बक्शीसनामा निष्पादित कर दिया। उक्त जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत ने रामलाल एवं उसके विधिक वारिसानों से किसी भी प्रकार की सहमति नही ली और न ही किसी प्रकार का नोटिस जारी किया। सजनी देवी ने ग्राम पंचायत में जैर निगरानी पट्टे के संबध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कही भी पडौस अंकित नहीं किये है तथा न ही यह अंकित किया है कि मकान पुश्तैनी है या कब्जाशुदा। तत्कालीन सरंपच ने अपनी मनमर्जी से उक्त मकान को सजनीदेवी का पुश्तैनी रहवासी मकान बता कर जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जबकि सजनी देवी का ससुराल धनला में एवं पीहर अहमदाबाद में है। जैर निगरानी पट्टे से संबधित आज्ञाओ की सुची से संबधित दिनांक 13.01.2011 एवं 20.08.2012 की बैठक कार्यवाही में सरपंच के हस्ताक्षर है वार्डपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर नही है। जैर निगरानी आराजी के संबध में जारी आपत्ति इश्तहार नोटिस में दिनांक क्रमाक अंकित नही है, साथ ही नोटिस में अंकित पडौस में काटं छाट है। सजनी देवी ने अपने प्रार्थना पत्र में पुराना कब्जाशुदा रहवासी मकान बताया गया है जबकि जैर निगरानी पट्टे के संबध मे नारायणसिंह पुत्र जोगसिंह राजपुत व लच्छाराम पुत्र नवलाराम सिरवी द्वारा दिये गये बयान में उक्त जैर आराजी को पुश्तैनी एवं कब्जाशुदा मकान बताया है जो परस्पर विरोधी कथन है तथा जो जैर निगरानी प्रकरण में स्वतत्रं गवाह न हो कर हितबद्ध गवाह है। जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम सेवक ने अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए प्रार्थी को आर्थिक एवं मानसिक हानि पहुचानें की नियत से विधि विरूद्ध एवं पंचायत

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

नियमों की अवहेलना करते हुए मिथ्या एवं गलत तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा सजनीदेवी के नाम जारी कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं गहनतापूर्वक मनन किया। ग्राम पंचायत धनला द्वारा जैर निगरानी पट्टा मिसल संख्या 40/2010–2011 संकल्प संख्या 01 दिनांक 20.10.2013 की पालना में जारी पट्टा संख्या 32 दिनांक 30.05.2014 जारी किया गया। जैर निगरानी आराजी के संबध में उप पंजीयन खारची के पंजीयन दस्तावेज दिनांक 18.10.1965 का अवलोकन करने से पाया गया कि रामलाल व अचलाराम ने उक्त आराजी सेसाराम पुत्र बुद्धा जाति लखारा से खरीद की है जिसमें रामलाल का 1/2 हिस्सा एवं अचलाराम का 1/2 हिस्सा है। अचलाराम के फौत हो जाने पर 1/2 हिस्से में उनके वारिसान रामलाल, घीसीदेवी एवं शिवराज प्रत्येक के हक में 1/3 हिस्सा आता है। जिससे रामलाल के हिस्से में जैर अपील आराजी का कुल 4/6 हिस्सा आता है, जिस पर रामलाल के विधिक वारिसान प्रार्थी संख्या 01 से 06 का हक एवं अधिकार है तथा प्रार्थी संख्या 07 का 1/3 हिस्सा है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 02 ने उक्त तथ्यों को छुपाकर जैर निगरानी आराजी का पट्टा बनवाने हेतु अपनी माता सजनीदेवी के द्वारा प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत धनला के समक्ष पेश करवा दिया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मात्र मकान का पट्टा बनाना अंकित किया है, उसमें प्रस्तावित मकान के पडौस का अंकन नहीं है तथा ना ही प्रार्थना पत्र प्राप्ति रसीद बाबत् संरपच के हस्ताक्षर है। साथ ही प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया का नाम छजन देवी अंकित है। जैर आराजी से सम्बन्धित समस्त आज्ञाओं की सूची में काट छांट की गयी है। आज्ञासूची दिनांक 20.09.2013 में जैर आराजी को पट्टा धारक की कब्जा सुदा पुश्तैनी मकान बताया है जबकि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मात्र मकान का पट्टा बनाना अंकित है।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146 के तहत स्थल निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि मिसल संख्या का नम्बर अलग स्याही से पश्चावर्ती अंकन किया गया है और प्रतिवेदन में अंकित रिपोर्ट में भी काटछाट हो रखी है। साथ ही मिसल की आज्ञासूची दिनांक 05.08.2013 के अनुसार तीन वार्ड पंचो की कमेठी गठीत की गई जबकि निरीक्षण प्रतिवेदन में केवल दो वार्ड पंचो के हस्ताक्षर है एवं यह प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया है के सम्बन्ध में किसी भी दिनांक का अंकन नही है। मिसल में संलग्न नक्शे में अंकित पडौस एवं नाम में काटछाट की गयी है। पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 18.10.1965 में आराजी के सम्बन्ध में अंकित पडौस एवं जैर आराजी का जारी पट्टे में अंकित पडौस में भिन्नता है।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 148(2) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा और उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर अभिप्राप्त करने के पश्चात पंचायत कार्यालय को लौटा दी जायेगी परन्तु जैर आराजी के सम्बन्ध में प्ररूप–22 के तहत जारी नोटिस में पट्टा धारक के नाम एवं भूमि के विवरण में कांटछॉट की गयी है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी क्रमांक का भी अंकन नहीं है। साथ ही उक्त नोटिस किन दो मौजिज व्यक्तियों के समक्ष चश्पा किया गया है के हस्ताक्षर नहीं है। जैर निगरानी के सम्बन्ध में लिये गये स्वतंत्र गवाहों के बयान एक दूसरे की कार्बन कॉपी है तथा जगह जगह कांटछॉट की गयी है। बयान फार्म के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि एक बयान पर अलग स्याही से दिनांक का पश्चातवर्ती अंकन किया गया है जबकि दूसरी बयान जो की

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

कार्बन कॉपी है, में पट्टा धारक के नाम में काटछॉट की गयी है। जैर आराजी से सम्बन्धित बैठक कार्यवाही रजिस्टर में बैठक दिनांक 20.10.2013 में जगह जगह कांट छॉट की गयी है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी से सम्बन्धित मिसल तथा मूल रिकोर्ड में जगह जगह कांटछॉट की गयी है व आवेदनकर्ता का नाम अधिलेखित किया गया है तथा आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं जारी पट्टे के नाम में भी भिन्नता है। स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में मिसल संख्या का नम्बर अलग स्याही से पश्चावर्ती अंकन किया गया है साथ ही केवल प्रतिवेदन में केवल दो वार्ड पंचो के हस्ताक्षर है एवं यह प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया है के सम्बन्ध में किसी भी दिनांक का अंकन नही है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 148 के तहत प्ररूप–22 में आपत्ति हेतु जारी नोटिस में पट्टा धारक के नाम एवं भूमि के विवरण में कांटछॉट की गयी है तथा किन दो मौजिज व्यक्तियों के समक्ष चश्पा किया गया है के हस्ताक्षर नहीं है। पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 18.10.1965 में आराजी के सम्बन्ध में अंकित पडौस एवं जैर आराजी का जारी पट्टे में अंकित पडौस में भिन्नता है। जैर आराजी से सम्बन्धित बैठक कार्यवाही रजिस्टर में बैठक दिनांक 20.10.2013 में जगह जगह कांट छॉट की गयी है। बयान फार्म में लिये गये बयान एक दूसरे कि कार्बन कॉपी है और उसमें पडौस के विवरण में कांटछॉट की गई है तथा एक बयान पर अलग स्याही से दिनांक का पश्चातवर्ती अंकन किया गया है जबकि दूसरी बयान जो की कार्बन कॉपी है में पट्टा धारक के नाम में काटछॉट की गयी है। उक्त पट्टा विधिविरूद्ध होने एवं न्यायसंगत नहीं होने से जारी रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत धनला द्वारा मिसल संख्या 40/2010–2011, संकल्प संख्या 01 दिनांक 20.10.2013 की पालना में संजनीदेवी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 32 दिनांक 30.05.2014 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ मूल रेकर्ड ग्राम पंचायत धनला को भिजवाया जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27/3/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली